

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
30प्र0 शासना

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
30प्र0 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 26 जून, 2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-कानपुर नगर व आगरा की परियोजनाओं हेतु मूल्य वृद्धि के रूप में वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3926/76/एक/बी0एस0यू0पी0/मू0वृद्धि/2014-15, दिनांक 14 जनवरी, 2015, पत्र संख्या-4694/76/एक/बी0एस0यू0पी0/मू0वृद्धि/2014-15, दिनांक 19 फरवरी, 2015 व पत्र संख्या-4677/76/एक/बी0एस0 यू0पी0/मू0वृद्धि/2014-15, दिनांक 19 फरवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-कानपुर नगर की नगर निकाय-कानपुर सिटी की 681 आवासों के सापेक्ष 553 आवासों व जनपद-आगरा की निकाय-आगरा की क्रमशः 1285 व 2151 आवासों के सापेक्ष 963 व 1856 आवासों की 03 पुनरीक्षित परियोजनाओं, जिसकी पुनरीक्षित परियोजना लागत क्रमशः ₹0 2865.50 लाख, ₹0 4921.03 व ₹0 3603.46 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-492/2015/571/69-1-15-78(बजट)/09टीसी, दिनांक 17 जून, 2015 द्वारा जारी की जा चुकी है, हेतु उक्त परियोजनाओं में हुई मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप संलग्न तालिका के स्तम्भ-12 में अंकित देय अन्तर की धनराशि क्रमशः ₹0 415.84 लाख, ₹0 1382.59 लाख व ₹0 1151.01 लाख अर्थात् कुल ₹0 2949.44 लाख (रुपये उन्तीस करोड़ उनचास लाख चौबालिस हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-404/2015/951/69-1-15-14(76)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा नगर निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 में संरक्षित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में आहरित कर व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।
4. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण करारकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।

क्रमशः.....2

प्रीतीया श्री उरतुल, प्रा०

17/7/15

17/7/15

17/7/15

5. उक्त परियोजना हेतु अंतिम किशत की धनराशि को सम्बन्धित सूझा/डूझा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को सम्मिलित करने के उपरान्त समस्त किशतों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सापेक्ष दैय/अनुमन्य धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ एवं सूझा/डूझा द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
7. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।
8. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि को बैंक/हाकधर/डिपॉजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व दधानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूझा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-298/दस-2012-244/2011, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर-3/4 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. परियोजना में सम्मिलित केन्द्रांश व राज्यांश एवं लाभार्थी अंश की अनुमन्यता की सीमा तक व्यय सुनिश्चित करने का दायित्व सूझा/डूझा का होगा। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त किशतों की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में सूझा/डूझा स्वयं सन्तुष्ट हो लेंगे। यदि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक धनराशि अवमुक्त की जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सूझा/डूझा का होगा।
10. परियोजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने में उ०प्र० के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सूझा/डूझा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
12. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेंगे।
13. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूझा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एम०ओ०यू० (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित करेंगे। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम०ओ०यू०) किये जाने हेतु सूझा द्वारा सम्बन्धित डूझा को निर्देशित किया जायेगा।
15. योजना में अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/11, दिनांक 25.01.2011 में विहित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी।
16. लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को वास्तविक रूप से किया जायेगा।

17. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली मूल्यवृद्धि की धनराशि अन्तिम होगी। भविष्य में उक्त परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि के रूप में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतः परियोजना का अवशेष कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 18. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस0एल0एन0ए0 (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है एवं आगणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि, यदि कोई हो तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
 19. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित ड्डा को निर्देशित किया जायेगा।
 20. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिनांक 30.09.2015 से पूर्व आहरित कर व्यय कर ली जाय।
 21. भारत सरकार को वापस की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि को यथाशीघ्र भारत सरकार को वापस किया जाना सूडा सुनिश्चित किया जायेगा।
 22. सूडा द्वारा शासनादेश सं0-मु0स0-29/69-1-14-14(62)/2013, दिनांक 05.11.2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 2. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
hsh
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 532 /2015/571(1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कानपुर नगर/आगरा।
6. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र0 शासन।
10. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
11. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
12. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
13. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
14. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।


शासनादेश संख्या- 532 /2015/571/69-1-15-78(बजट)/09टीसी, दिनांक 26 जून, 2015 का

संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹0 में)

| क्र० सं० | जनपद/परियोजना/सरेण्डर के पश्चात् कुल आवासों की संख्या। | मूल परियोजना लागत। | सरेण्डर के पश्चात् पुनरीक्षित परियोजना की मूल लागत। | सरेण्डर के पश्चात् अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या। | सरेण्डर के पश्चात् मूल परियोजना के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के आवासों की कुल परियोजना लागत। | अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ किशत व शार्टफाल के रूप में कुल स्वीकृत धनराशि। | भारत सरकार को वापस की जाने वाली धनराशि। | पी०एफ० ए०डी०/ई०एफ० सी० द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित परियोजना लागत। | पुनरीक्षित परियोजना लागत के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के आवासों की परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान सहित)। | पुनरीक्षित परियोजना लागत के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के आवासों की परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान रहित)। | पुनरीक्षित लागत के अनुसार स्वीकृति हेतु मूल्य वृद्धि की कुल धनराशि (सेन्टेज चार्जज व लेबर सेस सहित)। |
|----------|--|--------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | कानपुर नगर/कानपुर सिटी-887/681 आवास | 3667.63 | 2824.89 | 553 | 2293.92 | 2628.08 | 320.60 | 3528.76 | 2865.50 | 2723.32 | 415.84 |
| 2. | आगरा/आगरा-2335/1285-आवास | 9518.01 | 5221.29 | 963 | 3912.92 | 3125.84 | | 6566.49 | 4921.03 | 4668.72 | 1382.59 |
| 3. | आगरा/आगरा-2420/2151-आवास | 3477.70 | 3237.49 | 1856 | 2793.57 | 1901.89 | - | 4176.21 | 3603.46 | 3298.86 | 1151.01 |
| | योग | | | | | | | | | | 2949.44 |

(रूपये उन्तीस करोड़ उन्चास लाख चौवालिस हजार मात्र)।


(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

२

<http://shashanadesh.gov.in>